प्रेस नोट ***18/04/2025***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 01, 03 वर्ष कठोर कारावास व ₹10,000 व 15,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 18-04-2025 को मु0अ0सं0 58/2014, धारा 413, 420 थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्तगण ओम चौरसिया पुत्र रामनाथ चौरसिया निवासी सादी खास शाहंगज जनपद जौनपुर, अरुणँ कुमार सिहं पुत्र स्व. रामअवध निवासी भदसा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को कारित अपराध के लिए 01-03 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹10,000-15,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 18/04/2025 को देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर कुकुहा मंदिर कमालपुर कोलौरा के पास से मु0अ0स0 154/2025 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण दीपक कुमार पुत्र राजनाथ,सतीस राजभर पुत्र सुबाष, भीम पुत्र नन्दूराम, शिवम पुत्र सन्तोष गौड़ समस्त निवासीगण कमालपुर कोलौरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।